प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –350 / 2023

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. किस्तुरी पत्नी ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. धर्मेश्वरी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. शीला देवी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. रीटा पुत्री महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. रविना पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक:** 24/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 196 / 111 की कुल 1.0630 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 123 / 23 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 215 / 39 की कुल 3.7070 हैक्ट भूमि वादी के दादा ठाकरराम पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा ठाकरराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद कानूनी वारिस वादी व प्रतिवादी स0 1 व 7 है तथा वादी के मृतक दादा के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 व 7का बहिब का हक हिस्सा है।

वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण स0 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादी स0 1 वादभूमि पर काबिज है। जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 19 6/111 की कुल 1.0630 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 123/23 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 215/39 की कुल 3. 7070 हैक्ट भूमि वादी के मृतक दादा ठाकरराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक ठाकरराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया स0 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 196/111 की कुल 1.0630 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 123/23 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि ठाकरराम पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ठाकरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 215/39 की कुल 3.7070 हैक्ट भूमि ठाकरराम पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ठाकरराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –350 / 2023

अनवान : –

1. राजकुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. किस्तुरी पत्नी ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. धर्मेश्वरी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. शीला देवी पुत्री ठाकरराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. रीटा पुत्री महेन्द्र सिह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. रविना पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 350 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 196/111 की कुल 1.0630 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 3 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 123/23 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि ठाकरराम पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ठाकरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 2 आरएमएस तहसील नोहर के खाता स0 215/39 की कुल 3.7070 हैक्ट भूमि ठाकरराम पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ठाकरराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.11.15.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका